

बिस्मिल्लाहीर्रहमानिर्हीम

# यौमे आशुरा और माहे मुहर्म्म से हमार तअल्लुक

संकलन : मुहम्मद सईद - मो. ०८८८७२३८५४८

**सब तअरीक़े अल्लाह के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है,  
नेशुमार दुइद सलाम हो मोहम्मद (स.अ.व.) पर**

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि “साल के बारह महीनों में चार महीने अदब के हैं, इन्सानी जिन्दगी के बन्दोबस्त में सिधा-सरया दीन सिई यही है, अदब के महीनों में जुल्म न होने दो कि इंसमें जुद तुम्हारा गुकसान है. (सुरह तोबा, आयत ३५)

मुहर्म्म इस्लामी तकवीम का पहला महीना है और यह हराम प मुहतरम महीनों में शामिल है. जो चार है. (१) मुहर्म्म (२) रजब (३) उ कअदा (४) जिदहज्ज.

इस्लाम में माहे मुहर्म्म की बडी अहमियत है, उसकी पजह अेक तो यह है कि इंससे कमरी साल का आगाज होता है और दूसरी पजह यह है कि इसी महीने (मुहर्म्म) की दसवीं तारीख यानि “आशूरा” के दिन मूसा (अ.स.) और उनकी कौम को क़िराँ से निजात मिली.

**“यौमें आशूरा” के रोजे की इक़िलत :**

(१) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि बनी (स.अ.व.) मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने देखा कि यहूदी “आशूरा” के दिन रोज़ा रभते हैं. आप (स.अ.व.) ने जब यहूद से इंसकी पजह मालूम की तो उन्होने बतलाया कि यह अेक अरघा दिन है. इसी दिन अल्लाह तआला ने बनी इस्त्राईलको क़िराँ से निजात दिलाई थी इंसलिये मूसा (अ.स.) ने इंस दिन का रोज़ा रभा था, आप (स.अ.व.) ने इस्माया मूसा (अ.स.) के हम तुम से जयादा मुस्तहिक़ हैं, युनांचे आप (स.अ.व.) ने इंस दिन रोज़ा रभा और सहाबा (रज़ि.) को भी इंसका हुकम दिया. (बुजारी २००४, मुस्लिम १८५५, अबुदाउद २४२१, इब्ने मात्र १७३४)

(२) आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि “आशूरा” के दिन जमाना

जाहिलियत में कुश्शा रोजा रजा करते थे और रसूल (स.अ.प.) भी रोजा रजते थे, फिर आप (स.अ.प.) जब मदीना तशरीफ लाये तो आप (स.अ.प.) ने यहां भी रोजा रजा और सहाबा (र.क्रि.) को भी रोजा रजने का हुकम दिया लेकिन रमजान (के रोजे)की इरजयत के बाद आप (स.अ.प.) ने उसको छोड़ दिया और इरमाया कि अब जिसका ज़ (दिल) चाहे इस दिन का रोजा रजे और जिसका ज़ चाहे रोजा न रजे. (बुजारी २००२, मुस्लिम १८४१, अबुदाउद २४१८)

इस हदीस से मालूम हुआ कि शुद्ध इस्लाम में यह “आशूरा” का रोजा इर्ज था, जब रमजान के रोजे इर्ज हुये तो इसकी इरजयत जाती रही.

(३) इब्ने अब्बास (र.क्रि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “आशूरा” (दस मुहर्रम) के दिन रोजा रजो और उसमें यहूद की मुजालिफत के लिये अेक दिन पहले या अेक दिन बाद का रोजा और मिला लो. (मुसनद अहमद)

(४) अबु हुशैरा (र.क्रि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया सब रोजे में अइजल रमजान के रोजे हैं उसके बाद मुहर्रम के रोजे हैं जो अल्लाह का महीना है. और बाद नमाजे इर्ज के सब नमाजों में अइजल तहजुद की नमाज है. (मुस्लिम २०३८, तिर्मिज़ ५३७)

(५) अबु कतादा (र.क्रि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया में समझता हूं कि अल्लाह तआला दस मुहर्रम (आशूरा) के रोजे की वजह से गुजरे अेक साल के गुनाह माफ़ कर देगा. (इब्ने माजा १७३८)

इस अहादीस से इस दिन के रोजे की अहमियत और इजलत का इल्म हुआ. इस दिन का रोजा रजने से गुजरे अेक साल के सगीरा गुनाह (माफ़ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह सिर्फ़ सख्खी तोबा से माफ़ होते हैं.)

### भिदअत और उसकी बुराई :

(१) जाबिर बिन अब्दुल्लाह (र.क्रि.) से मरवी हदीस में है कि यकीनन सबसे अरखी बात अल्लाह की किताब है, सबसे अरखी तरीका मुहम्मद (स.अ.प.) का तरीका है, सबसे जदतरीन काम (दीन में) नये इजाद कर्दा (भिदआत) हैं और हर भिदअत गुमराही है, (मुस्लिम १४७१, इब्नेमाजा ०४५) और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है. (नसाइ १५८१)

(२) आइशा (र.क्रि.) से मरवी है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “जिसने हमारे इस दीन में कोइ नई बात इजाद की, वह मरदूद है.” (बुजारी २६८७, मुस्लिम ३३१५)

(३) आइशा (र.क्रि.) से मरवी अेक हदीस में है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “जिसने दीन में अेसा काम किया जिस पर हमारा हुकम नहीं, वह मरदूद है.” (मुस्लिम ३३१७)

## घशादल डारी तआला हूँ :

- (१) आऒ तुम्हारे ललये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दलया, (माघदा ०३)
- (२) अै रसुल (स.अ.व.) तुम पर ढे कुष तुम्हारे रलन की तरकु से उतारा गया है, उसे लोगों तक पहुँचा दो, अगर तुमने अैसा न कलया तो पैगम्बरी का हक अदा नहीं कलया. (माघदा ५७)
- (३) कलमी नहीं हो सकता कल पैगम्बर कुष छलपाये यानल पैगामे हक पहुँचाने में ढयानत करे. (आले घमरान १५१)
- (ॡ) अै घमान वालों ! अल्लाह का हुकम मानो और उसके रसुल की घताअत करो, और अपने आमाल को (घनकी नाइरमानी करके) ढर्नाट न करो. (मुहम्मद ३३)

## नबी (स.अ.व.) का घर्शाट है :

- (१) तुम्हारे दरमलान दो चीजें छोडे ढ रहा हूँ “कलताबुल्लाहल व सुन्नतल” अेक अल्लाह की कलताब और दूसरी मेरी सुन्नत, ढलन तक घन दोनों को थामे रहोगे, हरगलऒ गुमराह न होगे. (मोत्ता मालक २२५१)
- (२) सलन से ढेहतर मेरे ऒमाने के लोग हैं, इर वो लोग ढे उसके ढाट होंगे और इर वह लोग ढे उनके ढाट होंगे. (रावी अब्दुल्लाह (रक़ल.) ढुऒारी २५५२)
- (३) यह हदीस घन्हीं लइऒों में घमरान ढलन हसीन (रक़ल.) से ली मरवी है. (ललर्मीऒ २०२ॢ)

घन कुरआनी आयत और अहादीसे रसुल (स.अ.व.) से पता चलल कल

- (१) दीने इस्लाम नबी (स.अ.व.) की ऒन्दगी में मुकम्मल हो चुका थल.
- (२) आप (स.अ.व.) पर ढे कुष अल्लाह ने नाऒलल कलया, आप (स.अ.व.) लोगों तक पहुँचा गये ढलना कोघ कमी यल ढेशी कलये.
- (३) हमारी कामयाबी के ललये अल्लाह की कलताब (कुरआन) और नबी (स.अ.व.) की सुन्नत (तरीके) को अमल में लानल ऒऒरी है.
- (ॡ) कलताब व सुन्नत को छोड़ेंगे तो गुमराह हो ऒयेंगे.
- (५) शुऒ के तीन ऒमानों के लोग (हम में के) सलन से ढेहतर लोग थे.
- (५) मोढलनो को अल्लाह की ओर उसके रसुल की घताअत करना यलहलये.
- (७) अल्लाह की यल उसके रसुल की ढात (हुकम) के मुकाबले कलसी और की ढात मानना, अपने आमाल को ढर्नाट करना है.

## मुहतरम मुसलमानों ! हम में कलतने है ? ऒन्हें :

- (१) सय्यदु शुहदा हऒरते “हमऒ” (रक़ल.) के कलतल का नलम और तारीऒे शहादत का घल्म है.

(२) दूसरे जलीझा हजरते “उमर” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(३) तीसरे जलीझा हजरते “उस्मान” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(४) चौथे जलीझा हजरते “अली” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(५) हजरते “हसन बिन अली” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

क्या एनकी शहादत, शहादत न थी ? क्या सहाबा एकराम (र.क्रि.) ने किसी का योमे पिलादत या योमे पझात या योमे शहादत मनाया ?

अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर क्यों ऐसा लगता है ?

गोया मुहर्म्म का महीना जिसकी दसवीं तारीज को हजरते हुशैन बिन अली (र.क्रि.) की शहादत का पाकिया पेश आया एसी ऐतेबार से इज्जीलत रजता है, हालाकि एस दिन की इज्जीलत की बुनियाद हुशैन (र.क्रि.) की शहादत का पाकिया हरगिज नहीं है, यह सानेहा तो दस मुहर्म्म ५१ हिजरी में पेश आया था, जबकि शरीअत की तकमील अहटे रिसालत में यानि एस पाकिअे से ५० साल पहले हो चुकी थी, क्या शरीअत की तकमील के बाद पेश आने वाले किसी भी पाकिअे को याहे वह कितनी ही अहमियत क्यों न रजता हो, कोए शरए हैसियत दी जा सकती है ? या उसकी पजह से किसी भी किस्म की एबादत का अहतेमाम किया जा सकता है ? या कोए दीनी या मजहबी रस्में अन्जाम दी जा सकती है ? जबकि बात यह है कि

मुहर्म्म मुसलमानों के लिअे जास महीना है, अल्लाह तआला ने एस माह में मुसलमानों पर बहुत से एनआमात किये, एस माह की दस तारीज को मूसा (अ.स.) और उनकी कौम को फिरअौन के जुल्म से निजात मिली, एसी दिन अल्लाह तआलाने फिरअौन और उसकी कौम को दरिया में गर्ड किया, अल्लाह की एसी मेहरबानी के शुकाने में मूसा (अ.स.) और उनकी कौम ने रोजा रजा. एस दिन की इज्जीलत में आप (स.अ.प.) ने रोजा रजा और सहाबा (र.क्रि.) को भी रोजा रजने का हुकम दिया. रमजान की इरजयत से पहले एस दिन का रोजा इर्ज था.

एसी माह में मुसलमानों ने जेबर इत्ह किया और यहुदियों को शिकस्त दी, एसी गजवे जेबर में यहुदियों का सरदार मरहब कत्ल हुआ. एसी माहमें उमर (र.क्रि.) के टोरे जिलाइतमें सअद बिन अबी पक्कास (र.क्रि.) की क्यादतमें झरस (कादसिया और मद्यन) इत्ह हुअे. एसी जंग में झरसी सरदार इस्तम कत्ल हुआ.

गुजरते पकत के साथ शायद हम यह सब लूल गये और जाने-अन्जाने यह कुछ करने लगे कि फिरका हुकम न अल्लाह ने दिया और न ही अल्लाह के रसूल (स.अ.प.) ने, नबी (स.अ.प.) तो इरमाते है.....

(१) अल्लाह और क्यामत के दिन पर एमान रजने वाली किसी भी औरत के

लिये किसी भी मर्याद पर तीन दिन से ज्यादा और शौहर की मर्याद पर चार माह दस दिन से ज्यादा मातम (सोग) करना जायज नहीं।

(उम्मे हब्बीबा (र.क्रि.) जुमारी १२८०-८१)

(२) अब्दुल्लाह बिन जअदर (र.क्रि.) से रिवायत है, नबी (स.अ.व.) ने जअदर बिन अबितालिब की पड़ाव पर तीन दिनों तक लोगों को आने की इजाजत दी, तीन दिन के बाद आप (स.अ.व.) ने इरमाया आज के बाद मेरे भाई का सोग न किया जाये. (नसाई २०८०)

(२) हाकिम अब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह उपर हिजरी के हालात तहरीर करते हुये लिखते हैं, “ईस साल दस मुहर्म्म को जगदाद में मौउजुदौला बिन-बोया (अल्लाह उसका पुरा करे) ने हुकम दिया कि बाजार बन्द कर दिये जायें और औरतें बालों के बने हुये कम्बल पहन कर बाजारों में ईस तरह निकलें कि वोह येहरे नंगे करने वालिया और बाल बिभेरने वालियां हो, अपने येहरों को थप्पड मारें, और हुशेन बिन अली (र.क्रि.) पर नोहा करें.

उन्हें ईस काम से रोकना अहले सुन्नत के बस में न था, उसकी पजह यह थी कि शिया हजरात की अकसरियत थी, उन्हें गल्बा हासिल था और बादशाह पकत उनके साथ था.” (अल बिदाया वल निहाया)

ईस इकतेबास से मालूम हुआ कि ताहििया साअी का रिवाज उपर हिजरी में शु३ हुआ और ईसका बानी मौउजुदौला बिन बोया है, ईससे पहले ईस रस्म का कहीं नामों निशान तक न था.

(३) मशहुर शिया लेखक शाकिर हुशेन नकवी की किताब “मुजाहिदे आउम P333 में लिखा है, उत्तरी भारत में यह ताहििया साअ और माहे महर्म्म के जुलुस नवाब आसिदुदौला के दौर में लखनऊ से शु३ हुये ११८८ हिजरी के बाद ताहििये जिस तरह भारत में होते हैं, कहीं नहीं होते यहां तक के ईरान में भी नहीं, जहां शिया हजरात अकसरियत में है.

ईसी किताब में शिया लेखक ने करबला के रप जैसे वाकिआत की जो बहुत मशहुर हैं और शियों के अलावा कुछ सुन्नी भुतबा की जवान से भी अदा होते हैं और मरसियों में दई अंगेज तरीके से दुहराये जाते हैं, पुर जोर तरदीद की है. (बहवाला अल्लाह की पुकार-नवम्बर २००८)

(१) इकह जअदरिया की मुल्ला जाकर मजलिसी कि किताब हयातुल कुलूब J2 P542 में लिखा है कि “जिसने किसी कब्र की तजदीद की या कोई शबीह बनाई तो वह ईस्लाम से खारिज हो गया.”

ईसी इकह की अेक ओर किताब (मन ला यह द रहा अलइकीह J1 P121) में लिखा है “जिसने कोई बिदअत ईजाद की और उसकी तरइ दावत दी या दीन बनाया वह ईस्लाम से खारिज हो गया.”

(बहवाला-आप के मसाईल और उनका हल)

(१) एब्ने अब्बास (र.क्रि.) से रिवायत है कि इरमाया नबी (स.अ.प.) ने अब्बाह तआला बिदअती का कोए अमल कुबूल नहीं करता, यहां तक कि वह अपनी बिदअत छोड दे ओर तोबा कर ले. (एब्ने माजा-०५०)

यही हदीस अनस एब्ने मालिक (र.क्रि.) से तबरानी ने हसन सनद के साथ रिवायत की है, जुमारी र.५७ और मुस्लिम ३३१५ की आइशा (र.क्रि.) से मरपी हदीस कि “जिसने हमारे एंस दीन में कोए बात एजाद की, वह मरदूद (र.द.) है.” एन अहादीस की रोशनी में.....

### जरा सोचिये :

हजरते हुशैन (र.क्रि.) की यादगार के तौर पर जो ताक्रिया बनाया जाता है, ताक्रिया बना कर जो कुछ उसके साथ किया जाता है.

जो चढावे उस पर चढाये जाते है,

जो मन्नते उसके साथ मानी जाती है,

जो मरसिये की मजलिस मुनअक़िद की जाती है,

वाक़िअे करबला को जो अइसानपी रंग दिया जाता है,

जो नियाज इतिहा का अहतेमाम किया जाता है,

जो (शरबत की) सबीलें लगाए जाती है, जो मातमी जुलुस निकाले जाते है,

जो एंसाले सपाब किया जाता है, जो पीचडा पकाया पिलाया जाता है,

क्या यह सब या एनमें से कोए अक़ बात ली अब्बाह के कुर्आन या नबी (स.अ.प.) की हदीस (सुन्नत) से साबित है ? या इर उन तीन जमानों जिन्हें नबी (स.अ.प.) ने बेहतरीन जमाने कहा है, में हमें एंस तरह का अमल मिलता है ?

हुशैन (र.क्रि.) जिन्हें नबी (स.अ.प.) ने जन्नत में नौजवानों का सरदार बतलाया है. (तिमीज़ ४४०१) जो मजलूमाना तौर पर शहीद किये गये और जो आली मर्तबा हैं, क्या उन्हें हमारे एंसाले सपाब की जरूरत है ? या हम सपाब हासिल करने के जयादा मुहताज है.

क्या सपाब जाने या मिठाए पचैरह पर नियाज, इतिहा टेने-टिलाने पर ही मिलता है ?

क्या सपाब दूसरे नेक कामों मसलन किसी को नमाज की तरफ़ बुलाने या किसी को बुराएयों से बचने की तलकीन करने पर नहीं मिलता ? क्या हम ऐसे काम करके उनका सपाब ली एंसाल करते या बज्शाते हैं ? क्या नबी (स.अ.प.) का लाया हुआ (जालिस) दीन हमारी निजात के लिये काफ़ी नहीं है ?

(५) जबकि अब्बाह तआला इरमाता है कि,

(१) अब्बाह लूलने वाला नहीं. (मरयम-५४)

(२) अब्बाह से लूल-चूक नहीं होती. (ताहा-पर)

(3) नबी (स.अ.प.) ने ली पैगम्बरी का पूरा-पूरा हक अदा किया, कुछ छिपाया नहीं. (आले इमरान-१५१)

इन्होंने तिमिया (रह.) इरमाते हैं के हज़रते हुशैन (रज़ि.) की शहादत पर शैतान ने दो बिदअते जारी की,

अक तो मोहब्बते हुशैन (रज़ि.) का टापा करने वाले (राइठियों) के ऋरिये जिन्होने ईस दिन को मातम का दिन बना लिया,

दूसरी बिदअत हज़रते अली और हुसैन (रज़ि.) से जुग़्ज रजने वाले (भारठियों) के ऋरिये जिन्होने ईस दिन के लिये जुश्री के बहुत से अमल गढ लिये, यहाँ तक के यह हदीस ली के जो शप्स योमे आशूरा को अपने अहलो अयाल पर कुशादगी करेगा अल्लाह उस पर पुरे साल कुशादगी करेगा. (मिनहाजुस्तुन्नह)

शरीअत साळी अल्लाह का हक है, कि अगर में कोय ऐसा काम दीन समऊ कर क़ु जिसका हुकम न अल्लाह ने दिया हो और न उसके रसूल (स.अ.प.) ने तो मेरा किया गया वह काम क्या कहलायेगा ?

क्या मेरा यह काम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढना न कहलायेगा? जबकि अल्लाह करीम का ईशाद है “ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से और उसके रसूल से आगे न बढो. (हुजुरात ०१)

क्या नबी (स.अ.प.) के दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद दीन के नाम पर ईजाद की गय रस्मों पर अमल करना सवाब पाने का काम हो सकता है ?

अगर नहीं तो क्या हमें अपने आपको और अपनों को ईन रस्मों को निमाने से नहीं रोकना चाहिये ?

अल्लाह तआला तो इरमाता है, ऐ ईमान वालो ! अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ ! जिसका ईधन ईन्सान और पथर होंगे. (तहरीम ०५)

अक और ईशाद बारी तआला है, नेकी और परहेजगारी के कामों में अक-दूसरे का साथ दो और गुनाह और ज्यादती के कामों में अक दूसरे का तआपुन न करे, (माईदा-०२)

जो लोग जुलूस के साथ अल्लाह से हिदायत के तालिम होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़र हिदायत से नवाजता है, ईसलिये कि अल्लाह इरमाता है “जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा (कोशिश) करेंगे, हम ज़र उन पर अपनी राहें जोल देंगे.” (अन्कभूत ५८)

हम सब जानते हैं कि अक दिन हम ली न रहेंगे, क्यों कि “हर नफ़स (जान) को मोत का मज यजना है.” (आले इमरान १८५, अम्बिया ३५, अन्कभूत ५७) (और) यह ली कि “क्यामत के दिन कोय किसी का जोऊ नहीं उठायेगा” (अनआम १५४, ईस्रा १५, फ़ातिर १८, जुमर ०७, नजम ३८)

हज़रते हुशैन (रज़ि.) और उन के साथियों के साथ जो कुछ किया गया उसकी

જવાબ દેહી હમ પર નહીં છે, હમેં અપને આમાલ કી જવાબ દેહી કરના છે, ઇસલિએ હમેં ઉસી કી ફિક્ક હોની ચાહિયે.

અલ્લાહ તઆલાને ઇશ્દ ફરમાયા, **“તલ્કા ઉમ્મતુન કદ ખલત લહા મા ક સ બત વ લકુમ મા કસબતુમ, વલા તુસ્અલૂ ન અમ્મા કાનૂ ચઅ મલૂન”**

તર્જુમા : યહ એક ગિરોહ થા જો ગુજર ગયા, ઉન લોગોં ને જો કુછ કમાયા વહ ઉનકે લિયે છે ઓર તુમને જો કુછ કમાયા વહ તુમ્હારે લિયે છે, ઉનકે આમાલ કે બારે મેં તુમસે નહીં પૂછા જાયેગા. (બકર ૧૩૪, ૧૪૧)

## હમારા મકસદે હકીકી :

અલ્લાહ કી ખુશનૂદી, ઉસકે અહકામ કી બજા આવરી ઓર મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) કે ઉસ્વ એ હસ્ના કી પેરવી ઓર અલ્લાહ કે હકીકી દીન કો અપની તાકત ભર ઉસકે બન્દોં તક પહુંચાના છે.

અખીર મેં અલ્લાહ તઆલા સે દુઆ છે કિ વહ હમ સબ કો સિરાતે મુસ્તકીમ (સીધી રાહ) કો જાનને-સમઝને ઓર ઉસ પર ચલને કી તોફીક અતા ફરમાએ. હમેં હર તરહ કે શિક્ક વ બિદઆત સે બચાએ, હમેં જબ મોત આએ તો ઇસ હાલમેં આએ કિ હમ મુસલમાન (ફરમાબદાર) હોં.

ઇન પર્યોં કો આમ કરને મેં જો હઝરાત હમારે સાથ તઆવુન કર રહે છે એ અલ્લાહ ! તૂ ઉન્હે જજાએ ખેર અતા કર, ઓર હમારી કોશિશોં કો શર્ફે કુબૂલિયત અતા ફરમા, હમેં જ્યાદા સે જ્યાદા આમાલે સાલેહ કરને ઓર હક બાત કી તલ્કીન કરને કી તોફીક અતા ફરમા. આમીન યા રબ્બુલ આલમીન !

**“સુબ્હા ન રબ્બિ ક રબ્બિલ ઇઝઝતિ અમ્મા ચસિફ્ન, વ સલામુન અલલ મુર્સલીન, વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન”** તર્જુમા : આપકા રબ જો બડી ઇઝઝત વાલા છે, પાક છે હર ઉસ ચીજ સે જો (મુશિરક) બયાન કરતે છે, પેગમ્બરોં પર સલામ છે. ઓર સારી તઅરીફે અલ્લાહ કે લિઅ છે જો સારે જહાન કા પાલનહાર છે (સાફ્ફાત ૧૮૦ સે ૧૮૨)

અહલે ઇલ્મ હઝરાત સે અપીલ છે કિ અગર કહી કમી યા ગલતી પાયે તો હમારી ઇસ્લાહ ફરમાએ. શુક્રિયા

**કુર્આન સૌના માટે :** આથી તમામ ભાઈઓને જણાવવાનું કે, વિશ્વપ્રસિધ્ધ તફ્સીર “તફ્સીર અહસનુલ બયાન” હિન્દીમાં સંસ્થાની લાયબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ છે. હદીયો માત્ર રૂ. ૨૦૦/- રાખેલ છે. તો આ તકનો વધુમાં વધુ ભાઈ બહેનોએ લાભ લેવા પિનંતી.

કુર્આન અને હદીષ સિવાય લેખકના અંગત વિચારોથી પ્રકાશકનું સહમત હોવું જરૂરી નથી. -પ્રમુખ

**ઈસ્લામિક ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર, ભુજ - મો. : ૮૪૦૧૭ ૮૬૧૭૨**

Blog : [www.iickutch.blogspot.in](http://www.iickutch.blogspot.in)